

SPEED POST

A-12018/5/2022-Admn.I Prtg-UD
भारत सरकार/Government of India
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/Ministry of Housing and Urban Affairs
मुद्रण निदेशालय/Directorate of Printing

दिनांक/Dated: 6th May, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Seeking comments from the stakeholders on draft recruitment rules for the post of CTP Machine Operator, Digital Press Operator, Assistant CTP Machine Operator and Assistant Digital Press Operator in the Govt. of India Press under Directorate of Printing-regarding

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to inform that the Directorate of Printing is in the process of framing draft Recruitment Rules (RRs) for the 04 newly created posts i.e. **CTP Operator, Assistant CTP Operator, Digital Press Operator, Assistant Digital Press Operator** in Government of India Press under the administrative control of Directorate of Printing

2. In accordance with DoPT's OM dated 13.10.2015, the draft Recruitment Rules (copy enclosed; English and Hindi version) for the aforementioned posts are being uploaded on the Ministry of Housing and Urban Affairs' website for a period of 30 days to invite comments from stakeholders.

3. All stakeholders are requested to review the draft RRs and submit their inputs, preferably in a tabular format (Word file), clearly specifying:

- o **Para number**
- o **Original content**
- o **Suggested modification**

4. The inputs should be submitted no later than 30 days from the date of issuing this letter, preferably via email to [sindhu.pillai@gov.in; ashwani.kumar35@gov.in].

Encl: draft RRs



(ईश्वर दत्त कश्यप/Ishwar Dutt Kashyap)
उप निदेशक/Deputy Director(A-I)

To

1. All the GIPs of the Directorate of Printing, MoHUA.

2. Shri Manoj Kumar, Deputy Manager (P&P Section), Room No. 402-B, Government of India Press Complex Minto Road, New Delhi- 110 002 with a request to upload the draft RRs on recruitment cell webpage and what's new tab of the Directorate of Printing's (DoP's) website.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. CtP Machine Operator	11* (2025) *(Subject to change depending on the work load).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6	Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. It is further relaxable for five years in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates and three years in case of OBC candidates Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizora, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of	(i) B. Tech/B.E. in Printing Technology or equivalent from a recognised Institute or university with one year experience in relevant field from a printing organization having legal entity. (or) Three years regular Diploma in Printing Technology or equivalent from a government recognised Institute with three years' experience in relevant field from printing organization having legal entity. Note: Qualification(s)

					Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years	50% by Direct Recruitment and 50% by promotion failing which by Deputation failin	<u>Promotion:</u> Assistant CtP Machine Operator/ Assistant Digital Press Operator in Pay Level-5 with six years' service	Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:—	Consultation with UPSC not nec

	<p>g both by Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p>	<p>in the grade.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>with six years regular service in posts in Level 5 in Pay Matrix and analogous to the post(s) of Assistant CtP Machine Operator or Assistant Digital Press Operator; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendable upto five years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>1. General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</p> <p>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist – Member</p> <p>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	<p>Essary</p>
--	--	---	--	---------------

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant CtP Machine Operator	11* (2025) * (Subject to change depending on the work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5	Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. It is further relaxable for five years in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates and three years in case of OBC candidates Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	B.Tech in Printing Technology or equivalent/Three-year regular Diploma in Printing Technology or equivalent from a government recognised Institute with three years' experience in relevant field from a printing organization having legal entity. Note: Qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes Or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

						Circumsta
--	--	--	--	--	--	------------------

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	In which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Two years for direct recruits	<p>50% by Direct Recruitment and 50% by promotion failing which by Deputation failing both by Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p>	<p>Promotion:</p> <p>i) Offset Plate Maker in Pay Level-4, having Diploma in Printing Technology with five years of regular service in the grade</p> <p>ii) Qualifying in the Trade test.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments—</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>with six years regular service in posts in Level 5 in Pay Matrix; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation includi</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Presses/Deputy Director (Admn) - Chairman 2. Deputy Manager —Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest</p>	<p>Consultation with UPS C not necessary.</p>

		<p>ng period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	Press is to be decided in terms of the distance.
--	--	--	--

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Digital Press Operator	14* (2025) (Subject to change depending on the work load).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. It is further relaxable for five years in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates and three years in case of OBC candidates Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be	(i) B.Tech/B.E. in Printing Technology or equivalent from a recognised Institute or university with one year experience in relevant field from a printing organization having legal entity. (or) (ii) Three years regular Diploma in Printing Technology or equivalent from a Government recognised Institute with three years' experience in

				<p>the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)</p>	<p>relevant field from a printing organization having legal entity.</p> <p>Note: Qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes Or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	---	---

<p>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees</p>	<p>Period of probation, if any</p>	<p>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	<p>50% by Direct Recruitment and 50% by promotion failing which by Deputation failing both by Direct Recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p>	<p><u>Promotion:</u> Assistant Digital Press Operator/Assistant CtP Machine Operator in Pay Level-5 with six years' service in the grade.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Government— (a) holding analogous posts on regular basis; or with six years regular service in posts in Level 5 in Pay Matrix and analogous to the post(s) of Assistant CtP Machine Operator or Assistant Digital Press Operator; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendable upto 5 years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding I</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:— 1. General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/Technologist – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</p> <p><u>Note:</u> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	<p>Consultation with UPCS not necessarily</p>

		level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.	
--	--	--	--

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Digital Press Operator	14* (2025) * (Subject to change depending on the work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. It is further relaxable for five years in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates and three years in case of OBC candidates Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	B.Tech in Printing Technology or equivalent/Three year regular Diploma in Printing Technology or equivalent from a Government recognised Institute with three years' experience in relevant field from a printing organization having legal entity. Note: Qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes Or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	<p>50% by Direct Recruitment and 50% by promotion failing which by Deputation failing both by Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p>	<p>Promotion:</p> <p>i) Offset Plate Maker in Pay Level-4, having Diploma in Printing Technology with five years' service in the grade</p> <p>ii) Qualifying in the Trade test.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Government—</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>with six years regular service in posts in Level 5 in Pay Matrix; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation inclu</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press/Deputy Director (Admn) — Chairman 2. Deputy Manager/ Officer-in-Charge — Member 3. Assistant Manager (Administration) — Member. <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in t</p>	<p>Consultation with UPS C not necessary</p>

		<p>ding period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendable upto 5 years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	terms of the distance.
--	--	--	------------------------

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सी टी पी मशीन ऑपरेटर	11* (2025) *	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। <u>टिप्पण</u> 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई. या समकक्ष डिग्री तथा वैधिक इकाई वाले मुद्रण संगठन से संबंधित क्षेत्र में

<p>है।)</p>				<p>सकती है। एक वर्ष का अनुसूचित जाति अनुभव। और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के किसी सरकारी मामले में इसमें मान्यता प्राप्त पांच वर्ष और संस्थान से मुद्रण ओबीसी प्रौद्योगिकी में उम्मीदवारों के तीन वर्ष का मामले में तीन नियमित वर्ष की छूट दी डिप्लोमा या जा सकती है। समकक्ष डिग्री तथा वैधिक टिप्पण 2:- आयु इकाई वाले मुद्रण सीमा अवधारित संगठन से करने के लिए संबंधित क्षेत्र में निर्णायक तारीख तीन वर्ष का भारत में अनुभव। अभ्यर्थियों से टिप्पणी: आवेदन प्राप्त करने अनुसूचित के लिए नियत की जातियों या गई अंतिम तारीख अनुसूचित होगी (न कि वह जनजातियों से अंतिम तारीख जो संबंधित असम, मेघालय, अभ्यर्थियों के अरुणाचल प्रदेश, मामले में मिजोरम, मणिपुर, अनुभव से नागालैण्ड, त्रिपुरा, संबंधित सिक्किम, जम्मू- योग्यताएं सक्षम कश्मीर राज्य के प्राधिकारी की लद्दाख खंड, स्वविवेक पर हिमाचल प्रदेश के शिथिल की जा लाहौल और स्पीति सकती हैं, यदि</p>
-------------	--	--	--	---

					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह अभिमत है कि इसकी संभावना है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।
--	--	--	--	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	50% सीधी	पदोन्नति: ग्रेड में छह वर्ष की सेवा के साथ	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण	संघ लोक

<p>भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>वेतन स्तर-5 में सहायक सीटीपी मशीन ऑपरेटर/सहायक डिजिटल प्रेस ऑपरेटर। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी-</p>	<p>समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य 3. वरिष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</p>	<p>सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।</p>
<p>टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।</p>	<p>7. नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सहायक सीटीपी मशीन ऑपरेटर या सहायक डिजिटल प्रेस ऑपरेटर के सदृश पद(पदों) धारण करते हों; और 8. कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों। टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर</p>	<p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।</p>	

आए लोग
पदोन्नति द्वारा
नियुक्ति के लिए
पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2:
प्रतिनियुक्ति की
अवधि, जिसके
अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या
किसी अन्य
संगठन या विभाग
में इस नियुक्ति से
तत्काल पहले
धारित किसी अन्य
संवर्ग बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की
अवधि भी है,
सामान्यतया तीन
वर्ष से अधिक नहीं
होगी, जिसे पांच
वर्ष तक बढ़ाया जा
सकेगा।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम
तिथि को छप्पन
वर्ष से अधिक नहीं
होगी।)

टिप्पणी 3:
प्रतिनियुक्ति या
आमेलन के आधार
पर नियुक्ति के
प्रयोजन के लिए, 1
जनवरी, 2016 (वह
तिथि जिससे
सातवें वेतन
आयोग की
सिफारिशों पर
आधारित संशोधित
वेतन संरचना बढ़ाई
गई है) से पूर्व
किसी अधिकारी
द्वारा नियमित
आधार पर की गई
सेवा को वेतन
आयोग की
सिफारिशों के
आधार पर बढ़ाए
गए वेतन मैट्रिक्स
में संगत स्तर पर

			की गई सेवा माना जाएगा।	
--	--	--	------------------------	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक सी टी पी मशीन ऑपरेटर	11* (2025) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में इसमें और पांच वर्ष तथा और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में और तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2:- आयु सीमा अवधारित	मुद्रण प्रौद्योगिकी में बी.टेक/ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का नियमित डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री तथा वैधिक इकाई वाले मुद्रण संगठन से संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के

				<p>करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।</p>	<p>मामले में अनुभव से संबंधित योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह अभिमत है कि इसकी संभावना है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
---	-------------------------------	---	--	--	---

आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता			जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नतों द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पद धारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से	पदोन्नति: i. वेतन स्तर-4 में ऑफसेट प्लेट मेकर, मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा। ii) ट्रेड टेस्ट में अर्हता। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी- (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा; तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबंधक/प्रबंधक/उपनिदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. उप प्रबंधक प्रभारी अधिकारी - सदस्य 3. सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य टिप्पणी: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

र अनुभव रखते हुए।
टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति

अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।

		<p>या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तिथि जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना बढ़ाई गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	
--	--	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. डिजिटल प्रैस ऑपरेटर	14* (2025)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई. या समकक्ष डिग्री तथा वैधिकाई

परिवर्तन
किया
जा
सकता
है।)

पांच वर्ष तक की वाले मुद्रण
छूट दी जा सकती संगठन से
है। अनुसूचित जाति संबंधित क्षेत्र में
और अनुसूचित एक वर्ष का
जनजाति के अनुभव।
उम्मीदवारों के (या)
मामले में इसमें किसी सरकारी
और पांच वर्ष तथा ओबीसी मान्यता प्राप्त
उम्मीदवारों के संस्थान से मुद्रण
मामले में और प्रौद्योगिकी में
तीन वर्ष की छूट तीन वर्ष का
दी जा सकती है। नियमित
डिप्लोमा या
टिप्पणी 2:- आयु समकक्ष डिग्री
सीमा अवधारित तथा वैधिक इकाई
करने के लिए वाले मुद्रण
निर्णायक तारीख संगठन से
भारत में अभ्यर्थियों संबंधित क्षेत्र में
से आवेदन प्राप्त तीन वर्ष का
करने के लिए अनुभव।
नियत की गई टिप्पणी:
अंतिम तारीख होगी अनुसूचित
(न कि वह अंतिम जातियों या
तारीख जो असम, अनुसूचित
मेघालय, अरुणाचल जनजातियों से
प्रदेश, मिजोरम, संबंधित
मणिपुर, नागालैण्ड, अभ्यर्थियों के
त्रिपुरा, सिक्किम, मामले में अनुभव
जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित
के लद्दाख खंड, योग्यताएं सक्षम
हिमाचल प्रदेश के प्राधिकारी के
लाहौल और स्पीति स्वविवेक पर

					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।	शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह अभिमत है कि इसकी संभावना है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधी भ	50% सीधी	प्रोन्नति: ग्रेड में छह	समूह 'ख' विभागीय	संघ लोक

<p>र्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष</p>	<p>भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।</p>	<p>वर्ष की सेवा के साथ वेतन स्तर-5 में सहायक सीटीपी मशीन ऑपरेटर/सहायक डिजिटल प्रेस ऑपरेटर।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी-</p> <p>7. नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सहायक सीटीपी मशीन ऑपरेटर या सहायक डिजिटल प्रेस ऑपरेटर के सदृश पद(पदों) धारण करते हों; और</p> <p>8. कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,</p>	<p>पदोन्नति/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य 3. वरिष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य <p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।</p>	<p>सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।</p>
---	--	--	---	--

प्रतिनियुक्ति पर
आए लोग
पदोन्नति द्वारा
नियुक्ति के लिए
पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2:
प्रतिनियुक्ति की
अवधि, जिसके
अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या
किसी अन्य
संगठन या विभाग
में इस नियुक्ति से
तत्काल पहले
धारित किसी अन्य
संवर्ग बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की
अवधि भी है,
सामान्यतया तीन
वर्ष से अधिक नहीं
होगी, जिसे पांच
वर्ष तक बढ़ाया जा
सकेगा।
(प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम
तिथि को छप्पन
वर्ष से अधिक नहीं
होगी।)

टिप्पणी 3:
प्रतिनियुक्ति या
आमेलन के आधार
पर नियुक्ति के
प्रयोजन के लिए, 1
जनवरी, 2016 (वह
तिथि जिससे
सातवें वेतन
आयोग की
सिफारिशों पर
आधारित संशोधित
वेतन संरचना बढ़ाई
गई है) से पूर्व
किसी अधिकारी
द्वारा नियमित
आधार पर की गई
सेवा को वेतन
आयोग की
सिफारिशों के
आधार पर बढ़ाए
गए वेतन मैट्रिक्स

			में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।	
--	--	--	---	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक डिजिटल प्रैस ऑपरेटर	14* (2025) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में इसमें और पांच वर्ष तथा और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में और	मुद्रण प्रौद्योगिकी में बी.टेक/ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का नियमित डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री तथा वैधिक इकाई वाले मुद्रण संगठन से संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या

				तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है।	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित
				टिप्पणी 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।	अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का अभिमत है कि इसकी संभावना है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक	पदोन्नति: ii. वेतन स्तर-4 में ऑफसेट प्लेट मेकर, मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा। ii) ट्रेड टेस्ट में अर्हता। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी-	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. भारत सरकार का मुद्रणालय के महाप्रबंधक/प्रबंधक/उपनिदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. उप प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी - सद	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

क अवधि के ल
िए अनुपस्थि
त रहने के कार
ण होने वाली र
िक्तियों को कें
द्र सरकार के
अधिकारियों से
प्रतिनियुक्ति के
आधार पर भरा
जा सकता है।

(क) नियमित आधार
पर सदृश पद धारण
किए हुए; या वेतन मैट्र
िक्स में स्तर 5 में
पदों पर छह वर्ष की
नियमित सेवा; तथा

(ख) कॉलम 7 के अंत
र्गत सीधी भर्ती के लि
ए निर्धारित योग्यताएं
और अनुभव रखते हुए
।

टिप्पणी 1: फीडर श्रेण
ी के विभागीय अधि
कारी जो पदोन्नति की
सीधी पंक्ति में हैं, प्रति
नियुक्ति पर नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने
के पात्र नहीं होंगे। इसी
प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर
आए व्यक्ति पदोन्नति
द्वारा नियुक्ति के लिए
पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्त
ि की अवधि, जिसमें
केंद्र सरकार के उसी
या किसी अन्य संगठ
न या विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य सं
वर्ग-बाह्य पद पर प्रति
नियुक्ति की अवधि शा
मिल है, सामान्यतः ती

स्य

3. सहायक प्र
बंधक (प्रशास
न) - सदस्य

टिप्पणी: यदि
उसी मुद्रणालय
के उपर्युक्त अ
धिकारियों में
से कोई भी उ
पलब्ध न हो,
तो अन्य निक
टतम सहयोगी
मुद्रणालयों में
नियमित आधा
र पर समान
पदनाम और
स्थिति के पद
धारण करने व
ाले अधिकारि
यों को उक्त स
मिति में शामि
ल किया जाए
गा तथा निकट
तम मुद्रणालय
का निर्धारण दू
री के आधार
पर किया जाए
गा।

न वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तिथि जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना बढ़ाई गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।